

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1070/2015..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स परीना इन्टरनेशनल, महावीर भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर  
बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (2) सहायक आयुक्त, वृत्त-एच, जयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04/08/2015	<p style="text-align: center;"><b>एकलपीठ</b> <b>श्री मनोहर पुरी, सदस्य</b></p> <p>अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना-पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना-पत्र संख्या अ.प्रा.-II/स्थगन/अ.सं. 102/15-16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 17.06.2015 के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वृत्त-एच, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के अपीलार्थी के वर्ष 2012-13 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23/24 व 55 सपठित नियम 19ए के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 23.02.2015 से सृजित कुल मांग राशि रूपये 3,03,881/- की वसूली पर रोक लगाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ब्याज राशि रूपये 57,872/- की वसूली पर स्थगन स्वीकार करते हुए शेष राशि (कर राशि) को वसूली योग्य अवधारित किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री यशस्वी शर्मा तथा विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह की बहस सुनी गयी।</p> <p>उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों के अवलोकन के पश्चात, प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, प्रकरण में अवशेष बकाया शेष वसूली योग्य बकाया राशि रूपये 1,59,642/- की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।</p> <p style="text-align: center;">उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।</p>	

*M. J. Patel*  
04/08/2015  
सदस्य

राजस्थान कर बोर्ड